लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1971/30 अग्रहायण, 1893 (शक)
No. 29, Tuesday, December 21, 1971/Agrahayana 30, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—2
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	2—3
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	4
29 वाँ प्रतिवेदन	Twanty-ninth Report	4
रुपया डालर दर के बारे में वक्तव्य	Statement re. Rupee Dollar Rate	4
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	4
पुर:स्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced	
(1) वायुयान (संशोधन) विधेयक	Aircraft (Amendment) Bill	5
(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill	6
(3) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill	6
(4) संविधान (27 वाँ संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-seventh Amendment) Bill	7
(5) संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक	Government of Union Territories (Amendment) Bill	7
(6) कंपनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	8
समाचार पत्र (मूल्य नियंत्रण) विधेयक	Newspapers (Price Control) Bill	8—19
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्रीमती नंदिनी सत्पथी	Shrimati Nandini Satpathy	8
श्री सरोज मुखर्जी	Shri Saroj Mukherjee	9
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	9
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	10
श्री के० नारायणराव	Shri K. Narayana Rao	11
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	11
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata	12
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	13

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	14
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamanadan Mishra	15
खंड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्रीमती नंदिनी सत्पथी	Shrimati Nandini Satpathy	18
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	18
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	19
नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Suspension of Provison to Rule 66	20
संविधान (27 वाँ संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-seventh Amendment) Bill	20
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K.C. Pant	20
श्री दशरण देव	Shri Dasaratha Deb	21
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	22
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	22
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	23
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	23
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	24
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K.C. Pant	27
नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Suspension of Provison to Rule 66	30
संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 1971	Government of Union Territories (Amendment) Bill	31
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K. C. Pant	31
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	32
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	33
श्री इराज्मुद सेकैरा	Shri Erasmode Sequeira	33
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	34
खंड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1	35
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K. C. Pant	36
गुरुवार 23 दिसम्बर, 1971 को होने वाली सभा की बैठक के बारे में घोषणा	Announcement Re. Sitting of the House on Thursday, December 23, 1971	33

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कंपनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	36
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	36
श्री रानेन सेन	Shri Ranen Sen	36
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	37
श्री ई०आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	37
श्री आर०वी० वड़े	Shri R. V. Bade	38
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	40
उपदान संदाय विधेयक	Payment of Gratuity Bill	40—44
प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committe	
श्री आर०के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	40

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1971/30 अग्रहायण, 1893 (शक)
Tuesday, December 21, 1971/Agrahayna 30, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at three Minutes past Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Papers laid on the table

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 67/71 एफ--संख्या 34—13/70—टी आर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो अन्दमान और निकोबार राजपत्र दिनांक 12 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अन्दमान और निकोबार दीप समूह मोटर गाड़ी नियम 1939 में कतिपय संशोधन किए गये हैं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1320/71]

तीसरे वेतन आयोग का दूसरा अन्तरिम प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं तीसरे वेतन आयोग के दूसरे अन्तरिम प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1321/71]

भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और सरकार द्वारा समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1322/71]

भारतीय प्रेस परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन तथा मैसूर सरकार की अधिसूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती नंदनी सत्पथी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :—

(1) प्रेस परिषद अधिनियम 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारतीय प्रैस परिषद के वर्ष 1970 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1323/71]

(2) मैसूर सरकार की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 72 का जो मैसूर राजपत्र दिनांक 10 मार्च 1971 में प्रकाशित हुई थी हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1324/71]

निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें तथा मैसूर रेशम कीड़ा बीज और कोकून (उत्पादन पूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) फ्रोजन लोबस्टर टेल्स का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 दिसम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5369 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पटसन उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 दिसम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5372 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1325/71]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत वस्त्र बुनाई, कशीदाकारी, लेस बनाकर और मुद्रण मशीनों द्वारा उत्पादन नियन्त्रण

संशोधन आदेश 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 अगस्त 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3166 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 1326/71]

(3) (एक) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर रेशमकीड़ा बीज और कोकून (उत्पादन पूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 1959 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर रेशमकीड़ा बीज और कोकून (उत्पादन पूर्ति और वितरण का विनियमन) (संशोधन) नियम 1971 की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र दिनांक 1 जुलाई 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 201 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1327/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

पश्चिम बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय नियम 1971

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मै पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 19 मार्च 1970 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित पश्चिम बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अध्यादेश 1971 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय नियम 1971 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो कलकत्ता राजपत्र दिनांक 10 सितम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या 3937-आई-आर/-ई आई एल/आर-1/71 में प्रकाशित हुए थे [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1328/71]

भारतीय प्रोद्योगिक संस्थान कानपुर के लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : मैं प्रोद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान कानपुर के वर्ष 1966-70 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1329/71]

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी गई कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1971 को पास किये गये जांच आयोग (संशोधन) विधेयक 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

उन्नतीसवां प्रतिवेदन

Shri Bhagwat jha Azad : I present the Twenty-ninth Report of the public Accounts Committee on Excesses over Voted Grants and Charged Appropriations as disclosed in the Appropriation Accounts (Civil), (Posts and Telegraphs), (Railways) and (Defence Services) for 1969-70 and action taken by Government on the recommendations contained in the Hundred aud twenty-third Report of the Committee.

रुपया-डालर दर के बारे में वक्तव्य

Statement re. Rupee-Dollar Rate

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 15 अगस्त से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा अमेरिकी डालर के सम्बन्ध में रूपांतरण सम्बन्धी सुविधाओं के स्थगित कर दिए जाने के बाद बहुत सी प्रमुख मुद्राओं के विनिमय मूल्य में अमेरिकी डालर के मुकाबले स्वतंत्र रूप से उतार-चढ़ाव होने की छूट दे दी गई थी जबकि डालर के स्वर्ण सम्बन्धी औपचारिक सममूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय भारत सरकार ने स्वर्ण के रूप में और डालर के रूप में भी रुपये की विनिमय दर को ज्यों का त्यों बनाये रखने का फैसला किया था। परिणामतः जहां पिछले कुछ एक महीनों में रुपये-डालर की विनिमय दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात 1 डालर 7.50 रुपये के बराबर ही रहा है वहाँ अन्य मुद्राओं जैसे स्टर्लिंग, मार्क आदि और रुपये के बीच की विनिमय दर में पौण्ड स्टर्लिंग डालर अथवा मार्क-डालर की विनिमय दर में हुए परिवर्तनों के कारण घट-बढ़ होती रही है।

2. अतः पिछले कुछ महीनों में रुपये और स्टर्लिंग पौण्ड के बीच की विनिमय दर में कुछ वृद्धि हुई है और जो फैसला हमने अगस्त में किया था उसके अनुसार गत सप्ताह के अन्त तक प्रमुख मुद्राओं के सममूल्यों के पुनः निर्धारण से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित क्रय और विक्रय की सबसे ताजा दरों के आधार पर एक पौण्ड के लिए 18.9677 रुपये की मध्यमान दर निर्धारित की गई है। यह इस बात की द्योतक है कि रुपये की अपेक्षा स्टर्लिंग के मूल्य में अगस्त 1971 से पहले की स्थिति के मुकाबले 5.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

3. सम्मानित सदस्य उन निर्णयों के बारे मे जानते हैं जो सप्ताहांत में 'दश के समूह' (ग्रुप आफ टेन) द्वारा लिये गये हैं। अमरीकी कांग्रेस के अनुमोदन के अधीन रखते हुए एक औन्स सोने के मूल्य को 35 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 38 अमरीकी डालर करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें 8.57 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। ब्रिटेन और फ्रांस ने यह निश्चय किया कि मुद्राओं की आधिकारिक सममूल्यता में कोई परिवर्तन न किया जाय जिससे उनकी मुद्राओं में डालर के संदर्भ में 8.57 प्रतिशत की मूल्य-वृद्धि हो जाएगी। जहां तक जर्मनी और जापान का सम्बन्ध है, उनकी मुद्राओं में, डालर के संदर्भ में, क्रमशः लगभग 13.57 प्रतिशत और 16.88 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि होगी। इसके साथ ही, यह भी प्रस्ताव है कि अमरीका द्वारा 10 प्रतिशत की दर से लगाया गया आयात अधिभार भी हटा दिया जाय।

4. इन परिवर्तनों का अनुमोदन करते समय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशकों ने यह भी निश्चय किया है कि यदि आवश्यक हो तो अन्य देश किसी दूसरे सदस्य देश की मुद्रा के संदर्भ में अपनी मुद्रा की विनिमय-दर को अनन्तिम रूप से घोषित कर सकते हैं। कोष ने किसी सदस्य देश द्वारा इस समय अपनाई जा रही किसी दर के 2 25 प्रतिशत तक के विस्तृत मार्जिन के अन्तर्गत घट बढ़ की अनुमनि देने का भी फैसला किया है।

5. सरकार ने इन प्रस्तावित परिवर्तनों से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। इस घड़ी में यह और भी आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाने अर्थात् निर्यात उपार्जन और आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ाने के अपने मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपना कदम उठाएं। हमारे निर्यातकताओं और आयतकताओं को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े इस उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान रुपया-स्टर्लिंग दर को आगे भी लागू रखा जाए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, सप्ताहान्त में दस से समूह द्वारा निर्णय लिए जाने से ठीक पहले, रिजर्व बैंक की खरीद और बिक्री की दरों के अंतर्गत 18.9677 रुपये प्रति पौण्ड की मध्यमान दर दी गई थी। इसी दर को आगे भी लागू रखने के लिए रिजर्व बैंक से कहा गया है। यदि हम आवश्यक और वांछनीय समझेंगे तो 2.25 प्रतिशत के उस विस्तृत मार्जिन का लाभ अवश्य उठाएंगे जिसके लिए अन्त-राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अब अनुमति दी है। आज बाजार खुलते समय कोई अनिश्चय की स्थिति न रहे इसके लिए उपर्युक्त प्रकार के निर्णयों की घोषणा की जा चुकी है और मैं जल्दी से जल्दी मौका मिलते ही इस सदन में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

6. हालांकि रुपया-स्टर्लिंग दर में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, फिर भी इसके फलस्वरूप अब रुपया-डालर की दर लगभग 7.279 रु० प्रति डालर हो जायगी जो अब तक 7.50 रु० प्रति डालर थी। इस प्रकार स्टर्लिंग के संदर्भ में हमारी दर अपरिवर्तित रखने का मतलब यह हुआ कि डालर के संदर्भ में रुपये के मूल्य में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चूंकि अन्य देश भी हमारे समान ही विस्तृत मार्जिन का लाभ उठाना चाहेंगे इसलिए ये दरें समय-समय पर बदलती रह सकती हैं।

7. सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि हमारे लिए ऐसा मार्ग अपनाना ही सर्वोत्तम होगा जिससे निकट भूतकाल के साथ अधिक से अधिक संभव सीमा तक निरंतरता बनी रहे ताकि निर्यात वृद्धि और आयात- प्रतिस्थापन के हमारे मूल हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के अपने प्राथमिक उद्देश्य के हित की दृष्टि से जो परिवर्तन करना आवश्यक होगा उसे करते हुए, हम अपने निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं के लिए जहां तक संभव होगा सुस्थिर वातावरण बनाए रखेंगे।

वायुयान (संशोधन) विधेयक

Aircraft (Amendment) Bill

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं

प्रस्ताव करती हूं कि वायुयान अधिनियम 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

' कि वायुयान अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

डा० सरोजिनी महिषी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सेवा की शर्तें सँशोधन विधेयक

Supreme Court Judges (conditions of service) Amendment Bill

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश [सेवा की शर्तें] संशोधन विधेयक

High Court Judges (Conditions of service) Amendment Bill

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन

करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुर स्थापित करता हूं ।

संविधन (27वां संशोधन) विधेयक

Constitution (Twenty-seventh Amendment) Bill

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न करता हूँ :

" कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संघ राज्य क्षेत्र सरकार (सशोधन) विधेयक

Government of Union Territories (Amendment) Bill

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले, तथा संविधान की षष्ठ अनूसुची का और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का भी और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले, तथा सविधान की षष्ठ अनुसूची का और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का भी और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

Companies (Amendment) Bill

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

समाचार-पत्र (मूल्यनियन्त्रण) विधेयक

News Papers (Price Control) Bill

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मै प्रस्ताव करती हूँ :

"कि समाचार-पत्रों के मूल्यों का, जन सामान्य के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए समाचार-पत्र, विद्यमान स्थिति में प्रभावी जन-संचार माध्यम के रूप में कार्य करते रहें, नियन्त्रण करने का और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदस्यों को स्मरण होगा कि 15 नवम्बर, 1971 को उन समाचार-पत्रों पर जिनकी बिक्री 15,000 से अधिक है 2 पैसे प्रति उत्पादन शुल्क लगाया गया है किन्तु देश भर में अनेक समाचार पत्रों ने अपना मूल्य उससे कहीं अधिक बढ़ा दिया है। यह वृद्धि 3 पैसे से 8 पैसे तक की गई है।

समाचार पत्रों ने इस वृद्धि को इस आधार पर उचित बताया है कि उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त लागत में भी वृद्धि हुई है। उनकी यह वृद्धि दो कारणों से उचित नहीं है। पहला तो यह कि लागत मूल्य में होने वाली नाम मात्र की वृद्धि से उनकी वित्त व्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे उन्होंने यह वृद्धि उसी दिन से क्यों की जिस दिन से कि उत्पादन शुल्क लगाया गया। इससे स्पष्ट है कि उनकी नियत पहले ही से खराब थी।

मूल्य वृद्धि के कारण कलकत्ता में हाकरों द्वारा की गई हड़ताल के सम्बन्ध में 24 नवम्बर, 1971 को विचार किया गया था। मेरी अपील पर समाचार पत्रों ने अपने मूल्य घटा दिये थे पर देश के अन्य भागों के समाचार पत्रों ने ऐसा नहीं किया है।

मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में सरकार को जाँच के लिए समय चाहिए और उसे करना आवश्यक है अतः इस प्रकार मूल्य वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है।

इस विधेयक के द्वारा सरकार को मूल्य निर्धारण का अधिकार मिलता है तथा उसके लिए उसमें मार्ग दर्शी सिद्धान्त भी सुझाये गए हैं। उसमें समाचार पत्रों के पुनरीक्षण और पुनर्विचार करने सम्बन्धी अभ्यावेदन पर विचार करने की भी व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि समाचार-पत्रों के मूल्यों का जन सामान्य के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाचार पत्र विद्यमान स्थिति में, प्रभावी जन संचार माध्यम के रूप में कार्य करते रहें, नियन्त्रण करने का और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : इस विधेयक का उद्देश्य समाचार-पत्रों का उचित मूल्य पर प्रकाशन जारी रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि जन साधारण को पत्र उचित मूल्य पर मिलते रहें। और अब चूंकि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध समाप्त हो गया है समाचार पत्रों पर लगाए गए इस उत्पादन शुल्क को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

विधेयक में मूल्य निर्धारित करते समय विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों को ध्यान में रखने की बात कही गयी है परन्तु छोटे समाचार पत्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध होने चाहिए क्योंकि उनकी उत्पादन लागत बड़े पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है और बड़े समाचार पत्रों को विज्ञापनों से लाखों रुपये की आय हो जाती है।

इसके अतिरिक्त छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को संरक्षण दिया जाना चाहिए तथा उनकी कीमतों में कमी करने से पहले उनसे सलाह ली जानी चाहिए। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में समय देने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति की जानी चाहिये। यदि यह सुझाव मान्य न हो तो मन्त्री महोदय कृपया यह ध्यान रखे कि इन आदेशों से छोटे पत्रों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए।

SHRI R. V. BADE (Khargone) : I oppose the Bill because the hon. Minister has not stated whether the Press Council of India has been consulted. Is it true that the prices of some of the newspapers were increased prior to the 15th November for they had to give D.A. and other allowances to their employees ? They said that in view of the increasing market prices they were increasing the prices of newspapers but the Government did not pay any attention to it.

This Bill should not be extended to South India and Madhya Pradesh. As far as Calcutta is concerned, the extention of this Bill is good because the hawkers there went on strike and the prices increased as a result thereof. Big newspapers and those who favour the Congress Party get advertisements but the small newspapers do not get advertisements and they have to live upon their circulation only.

A provision has been made under clause 3 (1) of this Bill that the Central Government will fix the prices of the newspapers. But I apprehend that it may lead to partiality. Press plays an important part in democracy and it is not propers to bring forward a Bill only on this ground that prices are rising.

There is also a provision of awarding punishment but no provision for an appellate authority has been made. Appeal will be filed to the Central Government. Newspapers are supposed to be an important part of democracy, but the Central Government are centralising all the powers in their own hands. Their should have been a provision for an appellate authority. I think there is a press Council of India which is a step in that direction. Besides, stay order should be issued immediately after the appeal is filed. It will immune the Journalists from much inconvenience.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड़) : समाचार-पत्र उद्योग का सदस्य होने की हैसियत से मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

यह ठीक है कि केवल 150 समाचार-पत्रों ने 15 नवम्बर से उत्पादन शुल्क के साथ-साथ अपने पत्रों के मूल्य भी बढ़ाये हैं । मूल्य में यह वृद्धि 3 पैसे से 7 पैसे तक की है । इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए ।

जब उत्पादन शुल्क लगाया गया था तो हमने सोचा था कि सरकार यह अनिवार्य करेगी कि वृद्धि केवल दो पैसे से अधिक न हो परन्तु सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है और कलकत्ता के समाचार-पत्रों की हड़ताल के बाद सरकार ने उनसे कुछ वायदे भी किये हैं और इसे देश के सभी स्थानों पर लागू करना उचित समझा है । सरकार ने इस सभा में समाचार-पत्रों से अपील की थी कि वे स्वेच्छा से कीमतें कम कर दें परन्तु उनमें से अधिकांश पत्रों ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है अत: सरकार को यह विधेयक लाने के लिये विवश होना पड़ा ।

हमने यह सोचा था कि एक साँविधिक मूल्य-पृष्ठ अनुसूची निर्धारित की जायेगी जिससे छोटे समाचार-पत्रों को सहायता मिलेगी । यह मनमानी और एक तरफा वृद्धि बड़े राष्ट्रीय समाचार-पत्रों द्वारा ही की गई है जो अंग्रेजी के हैं ।

एक छोटा समाचार-पत्र जो 6 पृष्ठ का होता है और 12 पैसे में बिकता था उसके अब 15 पैसे कर दिये गये हैं । छोटे पत्रों को बड़े पत्रों के समान नहीं समझा जाना चाहिये क्योंकि वे विज्ञापनों से बहुत पैसा कमाते हैं ।

विधेयक के खंड 3 में सरकार यह शक्ति अपने हाथ में ले रही है कि वह समाचार-पत्रों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करेगी । ऐसा करते समय समाचारपत्रों के पृष्ठों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । समाचार-पत्रों की बिक्री पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए और इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कितना स्थान विषय-वस्तु को दिया जाता है और कितना विज्ञापनों को । प्रैस आयोग ने 35 से 65 अथवा 40 से 60 के अनुपात की सिफारिश की थी परन्तु आजकल समाचारपत्रों में 70 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों को दिया जाता है और 30 प्रतिशत विषय-वस्तु को । वर्गीकरण करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिये कि वह पत्रकारों के वेतन के आधार पर न होकर समाचार-पत्र की बिक्री, विज्ञापनों से उसकी आय के आधार पर हो । इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि वह पत्र छोटा, मध्यम या बड़ा है और वह किस भाषा में निकलता है । संविधान 25वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय श्री गोखले ने कहा था कि मूल्य-पृष्ठ अनुसूची रद्द कर दी गई है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मूल्य-पृष्ठ अनुसूची निर्धारित की जाये और उद्योग को सुचारु रूप से चलाया जाए ।

श्री के० नारायण राव (बोम्बिली) : उत्पादन शुल्क विशेष रूप से संकट का सामना करने के लिए लगाया गया है। क्या किसी उद्योग के लिए नैतिक अथवा वैध दृष्टि से यह सही है कि वह अवसर का लाभ उठाकर मुनाफा कमाए ? कीमतों की वृद्धि के लिए समाचार पत्र उद्योग द्वारा जो कारण बताए गए हैं वे सही नहीं हैं। यदि किसी समाचार पत्र को मूल्य ढांचे के बारे में वा-तव में कोई कठिनाई है तो वह किसी अन्य अवसर पर अपने मूल्य बढ़ा सकता है।

जब कभी उत्पादन शुल्क लगाया जाता है तो यह समझा जाता है कि इसके एक भाग का भार उद्योग द्वारा उठाया जाएगा परन्तु केवल ऐसी बात ही नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है अपितु उपभोक्ता पर कर से भी कुछ अधिक भार डाला जा रहा है। सरकार को इस बारे में एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिसमें यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि उद्योग मूल्यों में समय-समय पर लगाए गए उत्पादन शुल्क से अधिक वृद्धि नहीं कर सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है और इसे पूर्ण रूपेण समर्थन मिलना चाहिए।

यद्यपि खंड 3 के अन्तर्गत सरकार समाचार पत्रों का मूल्य निर्धारित करने की शक्ति अपने हाथ में लेती है परन्तु मेरी यह आशंका है कि कहीं मोटर कारों के मामले में जो धांधली हुई वैसी फिर न हो। यदि सरकार समय-समय पर अधिकतम मूल्य निर्धारित करेगी तो अधिकतम सीमा धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी जैसा कि मोटर कार के मामले में हुआ है।

जब तक सरकार के पास दो मूल बातों को रोकने का कोई प्रभावशाली ढंग नहीं होगा तब तक इसे क्रियान्वित करना अत्यन्त कठिन होगा। एक तो कुछ बड़े समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज की अनुचित ढंग से की गई खरीद और इस अखबारी कागज की काला बाजार में बिक्री और फिर बिक्री को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की है जो स्पष्टतः विज्ञापन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है।

जहाँ तक बड़े समाचार पत्रों का सम्बन्ध है इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी समाचार पत्र के एक पृष्ठ पर पठनीय सामग्री मुश्किल से 25 प्रतिशत ही होती है। समाचार पत्रों का मूल्य निर्धारित करते समय इस बात पर भी ध्यान रखना होगा। इन पत्रों का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय सरकार को समाचार पत्रों की वास्तविक बिक्री संख्या उनके द्वारा अखबारी कागज पर किया गया खर्च और क्या इस अखबारी कागज का समुचित उपयोग किया गया है आदि बातों पर ध्यान देना जरूरी है। खंड 3 के अन्तर्गत सभी अन्य संगत परिस्थितियों के साथ-साथ ऐसी ही अनेकों बातों पर विचार करने के कारण उचित मूल्य निर्धारित करने का जो प्रयास किया गया है उससे अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढ़ जाएगी और सरकारी आदेशों को समय-पर चुनौती दे दी जाएगी। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए कि इसका कानूनी पहलू क्या होगा और इसे यथासंभव किस प्रकार सुस्पष्ट किया जा सकता है। अन्यथा हम कठिनाई में पड़ जायेंगे।

जैसा कि मंत्री महोदय ने आरंभ में ही बताया है कि समाचार पत्रों के मूल्यों में उत्पादन शुल्क से अधिक वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है। इनमें से कोई भी समाचार पत्र यह तर्क नहीं देता कि उन्हें केवल उत्पादन शुल्क के कारण 5, 6, या 7 पैसे की वृद्धि करनी पड़ी है, इसका

उत्पादन शुल्क से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध किसी और बात से है। क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों की कभी जाँच की है ?

कुछ समाचार पत्रों ने अपने अंकों का मूल्य किन्हीं विशेष नगरों में बढ़ाया है जबकि अन्य नगरों में उसी अंक का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और हम आज भी नहीं जानते कि ऐसा करने का क्या औचित्य है और इस बारे में सरकार का क्या विचार है।

मंत्री महोदय को यह चाहिए कि अगले सत्र में बड़े-बड़े एकाधिकार प्राप्त समाचार पत्रों को स्वामित्व को विभाजित करने के लिए एक विधेयक पैदा करें। इस बीमारी का इलाज किए बिना सरकार इन प्रश्नों को एक एक करके हल नहीं कर पाएगी जैसे—मूल्य किस प्रकार निर्धारित किए जायें, कागज के कोटे का क्या किया जाए, विज्ञापनों के संबंध में क्या नीति अपनाई जाए, आदि आदि।

ऐसे भी सुझाव दिए गए हैं कि कुछ संशोधन किए जाएं जैसे विधेयक में इस बात का उल्लेख किया जाये कि मूल्य निर्धारित करते समय समाचार पत्रों की बिक्री पृष्ठ संख्या, विषय वस्तु तथा विज्ञापनों के लिए स्थान निर्धारित आदि। समाचार पत्रों के छोटा अथवा बड़ा होने का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : इस विधेयक का स्वागत है। संकटकालीन घड़ी में समाचार पत्रों का मूल्य इसलिये बढ़ गया है कि सभी लोग इन्हें पढ़ना चाहते हैं। सामान्य स्थिति में बड़े समाचार पत्रों की प्रवृत्ति मूल्यों को कम करने की होती है न कि बढ़ाने की। अतः इस विधेयक और सामान्य रूप से सरकार की घोषित नीतियों के बीच बड़ा विरोध है।

इस बात की भी माँग की गई है कि मूल्य पृष्ठ अनुसूची निर्धारित की जाए क्योंकि एकाधिकार समाचार पत्र 20 अथवा 25 पृष्ठ देकर छोटे समाचार पत्रों को पनपने नहीं देते हैं साधारण परिस्थिति में यह न्याय संगत होगा कि समाचार पत्रों के मूल्य उनके पृष्ठों के अनुसार निर्धारित किये जायें और इसलिये बड़े व्यापारिक समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि की जानी ही चाहिये। परन्तु जब इस आपात स्थिति में प्रत्येक नागरिक समाचार पत्र पढ़ना चाहता है, नवीन समाचारों को जानना चाहता है सभी समाचार पत्र उद्योग ने अपने ऊपर अत्यन्त प्रशंसनीय रूप से प्रतिबंध लगाया है और इस राष्ट्रीय संकट के दौरान बहुत दृढ़ स्थिति अपनाई है। प्रायः सभी समाचार पत्रों ने सरकार का साथ दिया है और एक मत रहे हैं तथा जनता, सरकार और हमारी सशस्त्र सेनाओं का समर्थन करते रहे हैं। परन्तु मैं इस सदन का ध्यान अपने प्रैस संवाददाताओं और युद्ध संवाददाताओं की पूर्ण असफलता की ओर दिलाता हूं। जहाँ विदेशी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि विदेशी फोटोग्राफर, विदेशी टेलीविजन प्रतिनिधि मोर्चों पर वास्तविक युद्ध के चित्र लेते रहे हैं, वहाँ हमने अपने समाचार पत्रों में इस प्रकार के चित्र कभी भी नहीं देखे और इस संकट के दौरान हमारे संवाददाता नितांत असफल रहे हैं। परन्तु फिर भी हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों ने बड़ी जिम्मेदारी और देश भक्ति का परिचय दिया है। परन्तु जो सबसे निन्दनीय बात इस संकट के दौरान रही वह यह कि समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है परन्तु फिर भी सरकार को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

मूल्यों में जितनी वृद्धि हुई है उसको कराधान मे वसूल किया जाना चाहिए और इस धन का उपयोग शरणार्थी सहायता और राष्ट्रीय रक्षा कोष या छोटे समाचार-पत्रों को मुआवजे के रूप में या छूट के रूप में किया जाना चाहिए । इस कार्य के लिए सरकार को भविष्य में कोई मार्ग खोजना ही होगा । आशा तो यह थी कि सरकार इस विधेयक के द्वारा समाचार-पत्रों के एकाधिकार के तत्वों से मुक्त करायेगी परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता । आज समाचार-पत्र एकाधिकारवादियों के दास हैं । इसलिए सरकार से अनुरोध है कि आगामी सत्र में समाचार-पत्रों का प्रबन्ध करने और स्वामित्व के विभाजन के लिए एक व्यापक विधेयक सभा में पेश करे जिससे समाचार-पत्रों को स्वतन्त्रता मिल सके और मैं समझता हूँ कि तभी हमारे देश में समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता बनी रह सकती है ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : यह विधेयक सर्वथा अवास्तविक है और इस समय इसको प्रस्तुत किया जाना अनावश्यक है । हमें पहले ऐसा बताया गया था कि यह उत्पादन शुल्क अस्थाई रूप से लगाया जा रहा है परन्तु, अब लगता है कि यह स्थाई रूप से लगाया जा रहा है । और इससे समाचार-पत्र पढ़ने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

ऐसा भी बताया गया है कि कलकत्ता में कुछ विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सरकार ने उस स्थिति का दृढ़ता से सामना किया और अब समाचार पत्रों के मूल्य घटा दिये गये हैं । अतः सरकार को वही उपाय समस्त देश भर के समाचार पत्रों के बारे में भी अपनाने चाहिए । परन्तु सरकार इस विधेयक को पेश करके समय ही नष्ट कर रही है ।

इस विधेयक में समाचार पत्रों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है । समाचार पत्र उद्योग उत्पादन शुल्क के मूल्य बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि इस विधेयक के अनुसार समाचार पत्रों का मूल्य 22 अक्तूबर, 1971 से पहले वाला ही मूल्य होगा । परन्तु यदि कोई नया समाचार पत्र निकाला जाये तो वह स्वयं उसका मूल्य निर्धारण कर सकता है क्यों कि वह विधेयक में किए गए उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता है । इसलिए समाचार पत्रों के संचालक इस प्रकार इस शुल्क से बच सकते हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या टैरिफ आयोग निष्पक्ष होकर समाचार पत्रों के मूल्य निर्धारित करेगा अथवा मूल्यों पर कोई नियन्त्रण लगाएगा ? परन्तु ऐसी बात नहीं है । सरकार यह कार्य अपने हाथों में लेने जा रही है । यह बड़ी शंका की बात है कि सरकार का आशय अनेक बातों से है । राजनीति इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । सरकार एक अनावश्यक और निन्दनीय कार्य करने जा रही है । मूल्य निर्धारण करने का कार्य प्रैस परिषद को सौंपा जाना च हिए क्योंकि यह परिषद निष्पक्ष होकर इसके प्रत्येक पहलू की जांच करेगी । सरकार के लिए यही एक श्रेयस्कर उपाय रह गया है ।

समाचार पत्रों को विज्ञापनों से बहुत लाभ हो रहा है । एक ओर तो सरकार समाचार पत्रों के मूल्य नियन्त्रित करने की बात करती है और दूसरी ओर बड़े एकाधिकारवादी समाचार पत्रों को विज्ञापन टैरिफ बढ़ाने की अनुमति दे रही है । उनको यह भी आश्वासन दिया जाता है कि सरकार उनके मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी । यही व्यवस्था इस विधेयक में गई है । इन बड़े समाचार पत्रों को विज्ञापनों से 50 से 75 प्रतिशत तक आय होती है जबकि छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को इतने विज्ञापन कभी भी नहीं मिल पाते हैं । इसलिए समाचार

पत्रों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क अपने आप में उचित नहीं है और अवाँछित है। समाचार पत्रों पर लगाया गया क्रय-कर समाचार पत्र पढ़ने वालों पर लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस कर को टाल सकती थी और संविधान में दिये गए प्रावधानों के अनुसार कुछ और उपाय कर सकती थी। संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार कर केवल समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय पर ही नहीं अपितु, उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर भी लगाया जा सकता है। परन्तु सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। पांचवे वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि समाचार पत्रों के क्रय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इस कर का भार साधारण जनता पर बहुत बुरा पड़ेगा। परन्तु सरकार ने इसके विपरीत किया है।

कुछ समय पहले हमने समाचार पत्रों के स्वामित्व के विभाजन की बात सुनी थी, परन्तु यह बात किसी तरह से जनता तक पहुंच गई और अब सरकार इस बारे में बिलकुल मौन है। ऐसा लगता है कि विधेयक में जो कुछ लगाया गया है उससे केवल बड़े समाचार पत्रों के एकाधिकारियों को ही अत्यधिक लाभ होगा। अखबारी कागज का नियतन इस तरह किया जाता है जिस से कि बड़े-बड़े समाचार पत्रों को ही सहायता मिले। छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों की ओर बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें जो अखबारी कागज का कोटा दिया जाता है वह राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दिया जाता है और राज्य व्यापार निगम कह देता है कि अखबारी कागज भण्डार (स्टाक) में नहीं है। और उन बेचारों को बड़े समाचार पत्रों से काले बाजार भाव पर कागज खरीदना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह राज्य व्यापार निगम को अखबारी कागज का बहुत बड़ा भण्डार रखने के लिए कहे जिससे छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को निरन्तर अखबारी कागज मिलता रहे। अब जिन समाचार पत्रों की 15000 या इससे कम प्रतियों की खपत होती है वे इस कर से मुक्त हैं परन्तु अब सरकार ने कहा है कि जिनकी खपत 25000 हजार और इससे भी कम होगी उन पर भी विचार किया जायेगा। इस कराधान से मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इस विधेयक में माँग की गयी है कि समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। परन्तु हुआ इसके विपरीत है। मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बड़े समाचार पत्र मूल्य कम कर सकते हैं परन्तु प्रतिस्पर्धा के कारण वे छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को समाप्त करना चाहते हैं। इस बात के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। इस विधेयक में इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का कोई उपबन्ध नहीं है।

अतः अन्त में मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को वापस ले लें जिससे कि यह कर न लगाया जा सके। विज्ञापनों पर कर लगाकर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु संविधान में व्यवस्था है कि विज्ञापनों पर कर लगाकर केन्द्रीय सरकार कर एकत्र करेगी और इसे राज्य सरकारों को देगी इसी कारण केन्द्रीय सरकार इसके प्रति उदासीन है। अतः सरकार को इस समस्त समस्या पर विचार करना चाहिए और एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : It has been observed that whenever excise duty is imposed by the Government on any article, its price rises in the market. At such times, black marketers become active and take undue advantage of the situation. Press owners have also adopted this attitude and they have taken advantage of

this imposition of excise duty and raised of Newspapers. I welcome this Bill which seeks to curb this tendency amongst owners of newspapers. In fact such Bills should be introduced on all such occasions when excise duty is imposed on any article.

We have been talking of press Bill for many years. This Bill should be introduced at an early date. Such a Bill is necessary in order to check the monopoly of press barons.

There is widespread corruption in the working of News Agencies. The Government has assured that they would bring forward a Bill for setting up of News Corporations. This Bill should also be introduced early.

There has been a suggestion for imposition of tax on advertisement. monopolistic Press is earning a lot of money through these advertisements. Government should give advertisements to small Newspapers and help them.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगु सराय) : इस विधेयक के पीछे जो धारणाएं तथा मान्यतायें हैं उनके अनुसार यह विधेयक उचित प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार के विधेयक के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं ।

पहली धारणा यह है कि उत्पादन शुल्क लगाये जाने से पूर्व मूल्य ठीक थे । दूसरे 15000 से अधिक की बिक्री वाले समाचार पत्र ही दोषी है । तीसरे यदि मूल्य वृद्धि उत्पादन शुल्क तक ही सीमित रहे तो कोई आपत्ति नहीं की जायेगी । यदि केवल यही बाते हों तो इस प्रकार का व्यापक विधेयक उचित नहीं कहा जा सकता । 15,000 से कम बिक्री वाले समाचार पत्रों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जा रहा है और उन समाचार पत्रों को भी जिनको यह उत्पादन शुल्क नहीं देना पड़ता है इस विधेयक के अन्तर्गत लायाजा रहा है । अतः इस शक्ति का प्रयोग इस ढंग से किया जा सकता है जो प्रेस की स्वतन्त्रता के अनुरूप न हो । ऐसा भी प्रतीत होता है कि व्यापक नियन्त्रण के लिए मूल्य नियन्त्रण को साधन बताया जा रहा है । इस अशंका का कारण यह है कि सरकार ने मूल्य निर्धारण का उत्तरदायित्व अपने उपर ही ले लिया है । सरकार को इस मामले में अपेक्षित अनुभव या विशेष ज्ञान नहीं है और फिर भी सरकार ने यह अधिकार ग्रहण कर लिया है । अच्छा होता यदि यह उत्तरदायित्व प्रेस परिषद जैसी संस्था को दिया जाता जिसे इस मामले में अपेक्षित विशेषज्ञों का एक विशेष विभाग बनाना होगा ।

सरकार यदि यह समझती है कि कम बिक्री वाले समाचार-पत्रों के प्रति उसका कोई कर्तव्य है जो इस विधेयक के द्वारा पूरा होगा तो वस्तुतः यह विधेयक कम पूंजी वाले समाचार पत्रों के ऊपर उठने के मार्ग में बाधक ही सिद्ध होगा । यदि राज्य सरकारें भी इस प्रकार के विधेयक बना लेगीं तो यह उनके हाथों में बहुत बड़ी शक्ति बन जायेगा ।

यह ठीक हैं कि कुछ समाचार पत्रों ने उनके लिए नियत मूल्य सीमा का उल्लघंन किया है । सरकार को ऐसे समाचार पत्रों की सूची तुरन्त प्रकाशित करनी चाहिये ।

श्री मती नन्दिनी सत्पथी : मूल्य-पृष्ठ अनुसूची की माँग के संबंध में स्थिति यह है कि सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है । सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जब तक मूल्य को पृष्ठों से संबंधित नहीं किया जाता तब तक पाठकों के लिए कठिनाई अवश्य बनी रहेगी ।

जहां तक विज्ञापनों पर कर लगाने की बात है सरकार इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। यह भी मांग की गई है कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों की सहायता की जानी चाहिये। माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार का यह सुनिश्चित मत है कि छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को हर सम्भव तरीके से सहायता दी जाएगीं। यह ठीक है कि कुछ प्रयासों के बावजूद भी सरकार छोटे तक मध्यम समाचारपत्रों की पूरी तरह से सहायता नहीं कर पाई है। अखबारी कागज और विज्ञापनों के संबंध में सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये हैं कि छोटे तथा मध्यम आकार के समाचार पत्रों की सहायता की जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने अखबारी कागज की कालाबाजारी के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है। सरकार अपनी सीमाओं के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि यह चोर बाजारी न हो सके। इस बात पर हर संभव प्रतिबन्ध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि समाचार पत्र अपनी बिक्री के सम्बन्ध में सरकार को आंकडे बढ़ा चढ़ा कर न दें।

स्वामित्व के विभाजन तथा प्रेस विधेयक का भी उल्लेख किया गया है। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकती हूँ कि इस काम को छोड़ा नहीं गया है। कुछ मंत्रियों को इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार करने को कहा गया है और जैसे ही इस पर विचार पूरा होगा इस मामले पर सरकार विचार करेगी और आशा है कि थोड़े समय में ही इस दिशा में कुछ न कुछ अवश्य किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त क्या आप आगामी सत्र में विधेयक पेशकर देंगे।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह कहना तो कठिन है कि हम अगले सत्र में यह विधेयक पेश कर सकेंगे अथवा नहीं। वैसे कुछ मंत्री गण इस बारे में अनौपचारिक रूप से जांच कर रहे हैं और ज्योंही उक्त विचार पूरा हो जायेगा तभी हम कुछ निर्णय कर सकेंगे। वैसे न तो हमने इस योजना को त्यागा है और न ही त्यागने का कोई विचार है।

कुछ सदस्यों का यह कहना गलत है कि क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है इसलिये समाचार पत्रों पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। वस्तुतः तो हम आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। इस संबंध में निर्णय तो वित्त मंत्रालय को करना है। कुछ सदस्यों के सन्देह निवारण के लिए मैं स्पष्ट कर दूँ कि समाचार पत्रों का मूल्य निर्धारित करते समय या उन्हें विज्ञापन देते समय राजनैतिक भेदभाव नहीं बरता जाता है इस विधेयक का अभिप्राय सरकार को शान्ति देना है। यदि समाचार पत्र स्वयं अपने मूल्य घटा लेते हैं तो सरकार को इस मामले में कुछ नहीं करना है। समाचार पत्रों से मैंने अपील की है कि वे 2 पैसे के अतिरिक्त शुल्क से ज्यादा मूल्य न बढ़ायें परन्तु समाचार पत्रों ने कहा है उन्होंने मूल्य में वृद्धि अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि के कारण की है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बिना उपयुक्त परिस्थिति के वे मूल्यों में वृद्धि नहीं करेंगे। यह मैं स्वीकार करती हूँ कि अखबारी कागज की मूल्यों में वृद्धि हुई परन्तु फिर भी उन्हें इस असमानता के साथ मूल्यों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए थी विशेषतः जबकि देश एक आक्रमण के खतरे के कगार पर खड़ा है। श्री अमृत नहाटा तथा श्री शशिभूषण द्वारा दिये गये सुझाव बड़े मूल्यवान तथा सहायक सिद्ध होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : विचार के प्रस्ताव के समय केवल खण्ड 1 को छोड़कर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है कुछ सदस्यों ने तीसरे पाठ के समय भी बोलने का अनुरोध किया है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे बहुत ही संक्षिप्त होकर बोलें क्योंकि अगला विधेयक जोकि संविधान संशोधन विधेयक है केवल औपचारिक प्रकार का है तो भी कुछ सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे । समय की बहुत कमी हैं । अब प्रश्न यह है :—

'कि समाचार-पत्रों के मूल्यों का जन सामान्य के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाचार पत्र, विद्यमान स्थिति में, प्रभावी जन संचार माध्यम के रूप में कार्य करते रहें, नियंत्रण करने का और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was odopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड-3

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त राव पाटिल, क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अनन्त राव पाटिल : यदि मंत्री महोदय मुझे आश्वासन दें कि वह मेरे संशोधन को किसी रूप में शामिल कर लेंगी और अधिकतम मूल्य निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं आश्वासन देती हूं कि उनकी बात का ध्यान रखा जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय स्वयं इस संबंध में अपना संशोधन पेश करें अथवा फिर माननीय सदस्य के संशोधन को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति ली जाये और मतदान कराया जाये । संशोधन वापस लेने के बारे में मैं अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ ।

श्री अनन्तराव पाटिल : मैंने अपना संशोधन पेश ही नहीं किया है फिर वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं । उन्होंने संशोधन पेश किया है और वापस लेने की बात कही है । अध्यक्ष महोदय कार्यवाही की जांच करके देख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने संशोधन पर जोर नहीं दिया है और वस्तुतः उसे पेश भी नहीं दिया है । अतः मैं क्या चीज मतदान के लिए रखूं ? अब प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि खण्ड 4 से 9, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र क्या विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 4 से 9, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 4—9, Clause 1, the Enacting Formula and the title of the Bill was added to the Bill

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं प्रस्ताव करती हूँ ।

'कि विधेयक को पारित किया जायें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियमों उल्लंघन कुल एकाधिकारिक नियंत्रण के कारण हुआ है । देश भर में 650 दैनिक समाचार पत्र तथा 10,000 साप्ताहिक पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं जिनमें 80 प्रतिशत पर इन 7 दलों का नियन्त्रण है जिनमें बिड़ला, साहूजैन, गोइनका, मफतलाल, टाटा स्टेट्समेन बन्धुओं तथा अन्य लोगों का अधिकार है ।

मूल्य-पृष्ठ अनुसूची का उल्लंघन किया गया है और इसे पुनः लागू करने के लिए कोई विधेयक पेश नहीं किया गया है । हमारे करोड़ों देश वासियों को समाचार पत्र नहीं मिलते हैं और इस कारण राष्ट्रीय विकास में बाधा पड़ती है । मत्री महोदय ने इस एकाधिकार को समाप्त करने हेतु विधेयक पेश करने का वचन दिया था । इस आश्वासन का क्या हुआ ? मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वह इस एकाधिकार की रक्षा करते हैं क्योंकि ये पत्र श्रीमती गाँधी तथा उनके दल के रक्षक हैं । यही कारण है कि श्रीमती गाँधी ने यह विभाग अपने पास रखा है और विज्ञापन, अखबारी कागज का कोटा, बैंक तथा बीमा ऋण आदि देकर उनका पोषण करतीं हैं । इन्हें नियन्त्रित करने के बजाय इन 10 बड़े समाचार पत्रों को कुल कोटे के 25 प्रतिशत विज्ञापन दिये जाते हैं समाचार-पत्र वित्त निगम विधेयक कहां गया ? प्रधान मंत्री इसे क्यों दबाये बैठी हैं ?

आज भी 60 प्रतिशत अखबारी कागज का आयात किया जाता है । देश में इस उद्योग का कोई विकास नहीं हुआ है और चारों ओर इसका काला बाजार हो रहा है । एक कांग्रेसी श्री अशोक सेन द्वारा सम्पादित पत्र आनन्द बाजार पत्रिका तथा उसके सम्पादक को काला बाजार

करते रंगे हाथों पकड़ा भी गया है श्री पी०सी० वर्मा ने अखबारी कागज का कोटा भी लिया परन्तु फिर भी पत्र नहीं निकाला। इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।

काला बाजार में एक टन अखबारी कागज के 1400 रुपये के स्थान पर 2300 से 3400 रुपये लिए जा रहे हैं। कोटे के वितरण में भी भारी असमानता और असंगत अनुपात है। छोटे समाचार पत्रों को कुल विज्ञापन पर केवल 4 प्रतिशत ही मिलता है जबकि बड़े समाचार पत्रों को 85 प्रतिशत दिया जा रहा है। साथ ही जहां गैर सरकारी क्षेत्र प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये के विज्ञापन देता है वहाँ सरकार केवल एक ग्रुप को जिसकी दत्त पूंजी केवल 1.2 करोड़ रुपये है, 10.6 करोड़ की धनराशि देती है। आनन्द बाजार पत्रिका को सरकारी वित्त संस्थानों से 60 लाख रुपये मिलते हैं।

प्रेस आयोग का क्या हुआ ? इसे 17 वर्ष पूर्व गठित किया गया था। गत वर्ष श्री गुजराल ने दूसरे प्रेस आयोग की नियुक्ति करने की बात कही थी परन्तु यह वचन भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

मंत्री महोदय मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : यद्यपि यह समस्या तो बहुत ही साधारण समस्या है कि समाचार पत्रों के मूल्यों को उत्पादन शुल्क से अधिक वृद्धि न करने दी जाये परन्तु सरकार ने उसे अधिक जटिल बना दिया है। अब अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की बात कही जा रही है। जिनमें सभी सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जायेगा इससे मानदण्ड निर्धारित करने में भी कई त्रुटियां रह जायेंगी। मुझे लगता है कि इस विधेयक को भी उच्चतम न्यायालय में वही दशा होगी जो करों के मूल्यों सम्बन्धी अधिनियम की हुई थी क्योंकि आपात स्थिति समाप्त होने पर धारा 17 का निलम्बन भी समाप्त हो जायेगा।

हमें भली प्रकार मालूम है कि एकाधिकार प्राप्त लोग 24वें, 25वें तथा 26वें संविधान (संशोधन) विधेयकों को रद्द कराने का षड़यन्त्र रच रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के अधीन मूल्य निर्धारित करने के लिए एक ट्रिबुनल गठित किया जाये।*********

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाये गये प्रश्न सामान्य प्रश्न हैं। इनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। वैसे भी मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे चुकी हूँ जबकि मैंने इसे विचारार्थ प्रस्तुत किया था।

जहां तक प्रेस विधेयक का सम्बन्ध है समाचार पत्र वित्त निगम सम्बन्धी विधेयक तैयार है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि प्रधान मंत्री इसे दबाये बैठी हैं। इसे अगले सत्र में अवश्य पेश किया जायेगा। माननीय सदस्य हर बात को राजनीति की दृष्टि से न देखा करें। मैंने दूसरे प्रेस आयोग के बारे में यहां तो कुछ नहीं कहा था वैसे राज्य सभा में मैंने कहा था कि हम दूसरे प्रेस आयोग के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं।

*****अध्यक्ष महोदय के आदेश से सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

Motion Re : Suspension of Proviso to Rule 66

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 17 से पूर्व संविधान 27वां संशोधन विधेयक पर विचार करना उचित होगा क्योंकि यह मद 18 पर निर्भर है । हमें नियम 66 के परन्तुक के निलंबन के बारे में विचार करना होगा । हमारे पास समय बहुत कम रह गया है । अतः श्री कृष्णचन्द्र पन्त अपना प्रस्ताव पेश करें ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, जहाँ तक यह संविधान (27वां संशोधन) विधेयक, 1971 पर, जिस सीमा तक यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक, 1971 पर निर्भर है । विचार किये जाने और पास किये जाने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलंबन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, जहाँ तक यह संविधान (27वां संशोधन) विधेयक, 1971 पर, जिस सीमा तक यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक, 1971 पर निर्भर है। विचार किये जाने और पास किये जाने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलंबन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (27वाँ संशोधन) विधेयक

Constitution (Twenty-sevnth Amendment) Bill

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ;

"कि संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

गत सप्ताह जब सभा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन विधेयक, 1971 पर विचार किया था तो मैंने उक्त पुनर्गठन की संयुक्त योजना का ब्यौरा दिया था । यह विधेयक उसी योजना के कुछ प्रभावों के बारे में है । उसके साथ ही हमने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में भी विधान सभाओं से विचार विमर्श किया था और सोचा था कि इस समय इन सिफारिशों को लागू करने के अवसर का लाभ उठाया जाये ।

खण्ड 2 में धारा 239 क को संशोधित करके उसमें मिजोरम को शामिल करना है, ताकि यह सभा इस संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा तथा मंत्रि परिषद का गठन करने हेतु उसके कानून बना सके। यह पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत है। मनीपुर पर्वतीय क्षेत्र जिला परिषद विधेयक, 1971 के समय भी मैंने बताया था कि हम विधान सभा की पर्वतीय क्षेत्र समिति को व्यवस्था कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मनीपुर के आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना था। खण्ड 5 में इस भावना को कार्य रूप देने का उद्देश्य निहित है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को मानते हुए हमने खण्ड 3 में संविधान में नयी धारा 239(ख) जोड़ने का विधान रखा है। इससे प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलेगा परन्तु इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति के पूर्व-निदेश प्राप्त करने होंगे। इसका कारण यह है कि सातवीं अनुसूची में वर्णित सभी मामलों के लिए एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है।

धारा 240 में राष्ट्रपति को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, लक्काद्वीप मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह, दादरा, नागर हवेली तथा गोआ दमन और दीव और पांडेचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कानून बनाने का अधिकार है। गोआ दमन और दख में विधान सभाओं के गठन के बाद वहाँ राष्ट्रपति के ये अधिकार निलंबित हो गये थे।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

अनुभव से पता लगा है कि संघ राज्यों क्षेत्रों में विधान सभाओं के भंग होने या उनका कार्य रुक जाने पर इन अधिकारों का बना रहना जरूरी है। साथ ही इस धारा में दो नये संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का समावेश भी किया गया है। खण्ड 4 में इस उद्देश्य की पूर्ति की भी व्यवस्था है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम के विधानमण्डल तथा मंत्रि-परिषद का गठन एक स्वागत योग्य बात है लेकिन कितना ही अच्छा होता यदि अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही किया जाता। यह प्रदेश आदिवासी क्षेत्र है और यहां के निवासियों का काफी समय से शोषण होता आ रहा है। देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन लोगों को भी प्रशासन में शामिल किया जाये।

इस विधेयक में आपत्तिजनक बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति को अवांछित शक्तियाँ देने की व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था से विधान सभा और मंत्रिपरिषद्, नौकरशाह लोगों के हाथ में खिलौना मात्र बन कर रह जायेगी।

इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि प्रशासन उस समय अध्यादेश जारी कर सकेगा जब विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा होगा। मेरी यह समझ में नहीं आता कि प्रशासक को मंत्रि परिषद की उपेक्षा करने का अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में प्रशासक को मंत्रि परिषद से सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 240 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र की शांति, उन्नति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।"

किन्तु यदि अनुच्छेद 239 क के अधीन संघ राज्य क्षेत्र गोआ दमन, दीव अथवा पांडीचेरी के विधायी कार्यों के लिए किसी निकाय का गठन किया जाएगा तो उस दशा में राष्ट्रपति विधान मंडल की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के दिन से उस क्षेत्र की शांति उन्नति और सुशासन के लिए कोई विनिमय नहीं बनाएगा। इस प्रकार संविधान निर्माता भी यही चाहते थे किसी भी संघ राज्य में विधान सभा और मंत्रि परिषद बनने के बाद राष्ट्रपति से उस राज्य में विनियम बनाने का अधिकार न दिया जाए। सरकार संविधान में संशोधन करके आदिवासी लोगों को प्रशासन में भाग लेने से वंचित रखना चाहती है। आदिवासी लोगों के लम्बे संघर्ष का ही यह परिणाम है कि आज वहां विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन होने वाला है। अतः मेरे विचार में संविधान में दिए गए उपबन्ध में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

Shri K. M. Madhukar (Keseria) : I welcome this Bill. But while I appreciate the efforts of the Government to implement the Administrative Reform Commission's recommendations for the upliftment of people of hilly and tribal areas, I oppose the amendment which seeks to give undue powers to the Administrator. He has been empowered to promulgate ordinance.

The Government should clearly explain as to how much power is being given to the Administrator under this Bill. Is it proper to give so much powers to the Administrator under a democratic se up ? It is a serious lacuna in this Bill. Government has deprived the public of its rights in so far as the powers of issuing ordinances is given to the Adm nistrator. This will strengthen the hands of bureaucracy and undermine the spirit of democracy. Government should see that this lacuna in the Bill is removed.

I would like to suggest that before the promulgation of ordinances, consent of public representatives should also be taken. My hon. friend has stated that President's rule is not good ; but it is not always the case. It can be good as well as bad. But I cannot support that type of president' s rule where it deprives the people of their right of self government.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मनिपुर) : उपाध्यक्ष मैं संविधान (25वाँ संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। विधेयक के अन्तिम भाग में राष्ट्रपति को पर्वतीय क्षेत्रों में समितियों को गठित करने तथा अधिक शक्तियाँ देने की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में गहन अध्ययन किया है और ये अध्ययन सफल रहे हैं। जहां तक मणिपुर के प्रशासन का संबन्ध है विधेयक में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को आदेश देने की शक्ति की व्यवस्था की गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों और आदिवासियों को दिये गये संरक्षण के बीच यह विचार अंतर्निहित है कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच अन्तर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि केन्द्रीय सरकार काफी सहायता कर रही हैं फिर भी हमारे मन में यह शंका बराबर बनी हुई है कि इस विधेयक के क्या परिणाम निकलेंगे क्योंकि कुछ अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर वहां गये हैं वे अनमने ढंग से कार्य करेंगे।

जब कभी हम ऐसे उपबन्धों तथा अनुरक्षणों की व्यवस्था करें तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उस क्षेत्र में अधिकाधिक एकता स्थापित हो ताकि इन अनुरक्षणों से उनमें कोई फूट पड़े

जिसका हमें संदेह है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि गृह मंत्रालय को यह उपबन्ध क्यों आवश्यक प्रतीत हुआ कि स्वायत्तता तथा अनुरक्षणों की व्यवस्था करने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार निदेश देने के लिये अपनी कार्यकारी शक्ति को वहाँ लागू करे और इस प्रकार वहाँ के लोगों में भेद-भाव पैदा करे। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे सरकार का वास्तविक मंतव्य क्या है ?

मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मेरे विचार में नौकरशाही वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है और चर्चित प्रावधान से इस वर्ग के लोगों में आपसी फूट पैदा करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस संबन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : इस विधेयक में मिजोराम में विधानमंडल तथा मंत्रि-परिषद बनाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रावधान का मैं स्वागत करता हूँ परन्तु साथ ही विधेयक की कुछ त्रुटियों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

जब मिजोराम के लिये विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का उपबन्ध किया जा रहा है तो प्रशासक को मंत्रिपरिषद तथा विधानमंडल से ऊपर अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्यों दी जा रही है। ऐसा करने से मंत्रिपरिषद तथा विधानमंडल गठित करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि मिजोराम तथा अरूणाचल प्रदेश में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद बनाने के बाद भी वह विनियम बना सकेंगे। यह शक्ति राष्ट्रपति को नहीं अपितु विधानमंडल और मंत्रिपरिषद को दी जानी चाहिए क्योंकि जब किसी प्रदेश को संघशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है तो उसके बाद अधिनियम बनाने की शक्ति विधानमंडल और मंत्रिपरिषद को ही दी जानी चाहिये नाकि राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाती है तो इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार को विधानमंडल और मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है।

अध्यादेश जारी करना एक नियमित क्रम बन गया है और बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी किये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिये दी गई शक्ति वापिस ली जानी चाहिये।

जहाँ तक मणिपुर का प्रश्न है मुझे प्रसन्नता है कि सरकार विधान सभा की एक समिति नियुक्त करेगी जिसमें मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। सदस्य मणिपुर क्षेत्र को विकसित किये जाने की आवश्यकता है। समूचे देश द्वारा मणिपुर की उपेक्षा की गई है। वहाँ संचार व्यवस्था सर्वथा अपर्याप्त तथा दयनीय स्थिति में है। भारत सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिये तथा न केवल मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में अपितु समूचे पूर्वी क्षेत्र में और विशेषतया मणिपुर में संचार व्यवस्था को सुधारना चाहिये। यदि ऐसा किया जायेगा तो वहाँ पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा और विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार): कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि मैं पूर्वी क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्य बनाने का विरोधी हूं परन्तु प्रजातांत्रिक देश में यदि पर्वतीय क्षेत्रों में निवासियों पर विश्वास न हो तो उन्हें अलग करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता है इस विधेयक के माध्यम से

आदिम जातियों को अपने विवेकानुसार क्षेत्र को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि जहाँ मिज़ोराम को पूरी तरह से संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है वहाँ नेफा के सम्बन्ध में कुछ कमी की गई है। संभवतया यह समझा गया है कि नेफा के लोग इतने उन्मत तथा प्रगतिशील नहीं हैं। नेफा को भी वही शक्तियाँ दी जानी चाहिए जो मिजोराम को दी गई है। मैं समझता हूँ कि इसको भी पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिये और शक्तियों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए।

उत्तर कछार तथा दीपू क्षेत्रों को इससे अलग नहीं किया जाना चाहिए। वे इस समय राजनीतिक तौर पर आसाम में है परन्तु विचारधारा की दृष्टि से उनका आसाम से कोई मेल नहीं खाता है। उनकी अपनी एक भिन्न संस्कृति है तथा उनके अपने अलग तौर तरीके हैं और गारो पहाड़ियों के लोगों से वे बिल्कुल भिन्न हैं। उन्हे भी इस बात की अनुमति दी जानी चाहिये और शक्तियों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये।

हमें कोई ऐसी कमी नहीं छोड़नी चाहिये जिससे लोगों में पृथकता की प्रवृत्ति पैदा हो। उनमें यह पृथकता की प्रवृत्ति पैदा होने का अवसर देकर सरकार यह प्रतीक्षा क्यों करती है कि आदिम जातीय लोगों द्वारा आंदोलन किये जाने के बाद ही उनको यह अधिकार दिया जायेगा ? उन क्षेत्रों में जहाँ पाँचवी अनुसूची लागू है सरकार को यह जाँच करनी चाहिये कि क्या उन क्षेत्रों में छठी अनुसूची लागू नहीं की जा सकती। मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इस बात की भी जाँच करें कि क्या पाँचवी अनुसूची आसाम के पिछड़े हुये भागों में लागू की जा सकती है अथवा नहीं।

श्री रणबहादुर सिंह (सिक्की) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु मेरी धारणा है कि विधेयक के माध्यम से इन क्षेत्रों की स्वतन्त्रता को सीमित करने का ही प्रयत्न किया गया है।

विधेयक के खंड 3 में प्रशासक के लिये अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मिजोराम को दी गई शक्तियाँ कम हो जाती हैं।

खंड 5 में राष्ट्रपति को विधानसभा की समिति गठित करने की शक्ति दी गई है। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि ऐसा करने से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अधिक संरक्षण मिलेगा परन्तु साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार ने राज्य बनाने का यह निर्णय किस दृष्टि से किया। इसके उपबन्ध को भी देखने से यह पता चलता है कि यह काम बिना सोचे समझे किया गया है।

जिस प्रकार सरकार पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और पिछड़े लोगों का ध्यान रखती है उसी प्रकार सरकार को देश के केन्द्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखना चाहिये। इन्ही शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (नैनीताल) : सब माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक द्वारा मिजोराम में एक विधान सभा तथा मंत्री परिषद बनाई जा सकेगी तथा इस प्रकार से यह इस देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

हमने लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए ही नाम के साथ 'प्रदेश" शब्द न जोड़ कर इसका नाम "मीजोरम" रखा है। यही स्थिति "अरूणाचल प्रदेश" के संबंध में है। वहां भी परिषद ने यह नाम सुझाया और हमने उसे स्वीकार कर लिया।

वास्तव में केन्द्रीय सरकार की यह इच्छा नहीं है कि अरूणाचल में कोई विधान सभा बनाई ही नहीं जाये। परन्तु हमने वही कदम उठाया है जो कि आज की परिस्थितियों के अनुकूल है। इस सब का यह भी अर्थ नहीं है कि अवसर आने पर और कदम नहीं उठाए जायेंगे। मुझे आशा है कि समय आने पर सभा हमें वे कदम उठाने की अवश्य अनुमति दे देगी।

अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में प्रशासक की शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ भ्रांति प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान में यह शक्ति राज्यपाल को दी गई है और इस प्रदेश के संबंध में यह शक्ति प्रशासक को दी जा रही है। जैसे अन्य राज्यों में राज्यपाल अपने आप कार्यवाही नहीं करता अपितु मंत्रीं परिषद की सलाह पर कार्यवाही करता है इसी भांति प्रशासक भी मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्यवाही करेगा।

जहां तक नियम बनाने संबंधी शक्तियों का संबंध है सामान्यतया संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू होता है तो संसद उस राज्य के संबंध में नियम बना सकती है। प्रायः वैसा ही उपबन्ध यहां भी किया गया है। यद्यपि यह उपबंध बिल्कुल वैसा नहीं है। राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं। राज्य विधान सभाओं के बारे में भी राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश जारी करने संबंधी शक्ति एक सामान्य शक्ति है। यह संविधान की पांचवी अनुसूची का अंग है। सारे देश के आदिम जन जातिय क्षेत्रों में यह अनुसूची लागू है अथवा की जा सकती हैं। हमने आदिम जन जातिय लोगों को संरक्षण देने के लिए कुछ ऐसे उपबध किए हैं जो पांचवी अनुसूची से कुछ भिन्न होते हैं। परन्तु इसके साथ ही हमने यह उचित तथा आवश्यक समझा है कि पांचवी अनुसूची के उपबधों को भी इन उपबधों के साथ शामिल किया जाए।

केन्द्रीय सरकार का यह इरादा कभी भी नहीं हो सकता कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग और घाटी के लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जाए। ये शक्तियाँ तो इस कारण दी गई हैं कि जन जातीय लोगों को यह आश्वासन दिया जा सके कि केन्द्रीय सरकार उन के हितों को संरक्षण देगी। इससे पर्वतीय क्षेत्रों और घाटी क्षेत्रों के लोगों के पारस्परिक संबंध और भी सुदृढ़ होंगे। इससे जन जातीय लोगों में विश्वास की भावना पैदा होगी। इस में अन्य कोई भावना निहित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संविधान (संशोधन) विधेयक है। इसे विशेष बहुमत के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। अतः लॉबी को खाली किया जाए। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 326	**विपक्ष में शून्य**
Ayes 326	**Noes Nil**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of out less than two thirds of the Members present and voting.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डों को भी इसी प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 325	**विपक्ष में शून्य**
Ayes 325	**Noes Nil**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less then two thirds of the Members presents ane voting

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन संख्या (1) प्रस्तुत करता हूँ।

जब विधान सभा का सत्र न हो तो प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रशासक को यह कार्य मंत्री परिषद के परामर्श से करना चाहिए। इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम में धारा 44 के अन्तर्गत एक विशेष उपबन्ध हैं जिसके अनुसार प्रशासक को मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या (1) मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put, and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : खंड तीन पर मतदाता से पूर्व लॉबी खाली की जानी चाहियें।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Speaker *in the Chair***]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 316	**विपक्ष में 19**
Ayes 316	**Noes 19**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 4 पर विचार करेंगे।

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत नहीं कर रहा, परन्तु संशोधन संख्या (3) प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जब संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा भंग कर दी गई हो तो विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मेरा निवेदन है कि विधेयक के इस खंड के शब्दों के स्थान पर स्वयं संविधान का ही उपबन्ध रखा जाना चाहिये।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ): मैं अपना संशोधन संख्या (5) प्रस्तुत करता हूं।

संविधान में यह उपबन्ध है कि जब किसी राज्य की विधान सभा को भंग किया जाता है तो विनियम बनाने संबन्धी शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है और यह भी उपबन्ध है कि यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जा सकती है। परन्तु इस विधेयक के द्वारा यह शक्ति सीधे राष्ट्रपति को दी जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूँ कि यह शक्ति संसद में ही निहित होनी चाहिये। यह निर्णय करना संसद का कार्य है कि यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंप दी जाए अथवा सदस्यों की किसी समिति को दी जाए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों की स्थिति के संबन्ध में बड़ा अन्तर है। संघ राज्य क्षेत्रों के संबन्ध में सामान्य रूप से संसद को राज्य अनुसूची और समवर्ती अनुसूची दोनों के संबन्ध में कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। हम इस मामले में वास्तव में ऐसा करने जा रहे हैं कि संसद को प्रत्येक बात के संबन्ध में कानून बनाने के लिये नहीं कहेंगे। राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राज्यों के संबन्ध में संसद राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करती है। अतः उससे भी सरल उपबन्ध स्वीकार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं श्री दशरथदेव का संशोधन संख्या (3) मतदान के लिए रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या (3) मतदान के लिये रखा गया और

अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and nagatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सेकैरा का संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या (5) मतदान के लिए रखा गया और

अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and nagatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 350 विपक्ष में 1

Ayes 350 Noes 1

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting

खंड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 351	विपक्ष में शून्य
Ayes 351	Noes Nil

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : खंड 1 के संबंध में सामान्यता हम विशेष मतदात नहीं करते परन्तु इस विधेयक के खंड 1 के असामान्य होने के कारण हम उसी प्रक्रिया को अपनायेंगें । अत: खंड 1 के लिए भी दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित है । प्रश्न यह है :

" कि खंड 1 विधेयक का अंग बने । "

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 346	विपक्ष में शून्य
Ayes 346	Noes Nil

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting

खंड 1 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के नाम के लिए विशेष बहुमत अपेक्षित नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 353	**विपक्ष में 1**
Ayes 353	**Noes 1**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

Motion re: Suspention of Proviso to Rule 66

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, जहाँ तक यह संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, (9) पर, जिस सीमा तक यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक, 1971 और संविधान (27वां संशोधन) विधेयक, 1971 पर निर्भर है, विचार किए जाने और पास किए जाने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, जहां तक यह पूर्वोत्तर परिषद् विधेयक, 1971 पर जिस सीमा तक यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधयक, 1971 पर निर्भर है, विचार किए जाने और पास किए जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 1971
Government of Union Territories (Amendment) Bill 1971

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले तथा संविधान की षष्ठ अनुसूची का और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का भी और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उन विधेयकों की श्रृंखला में यह चौथा विधेयक है जिसमें हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की पुनर्गठन योजना के बारे में विचार कर रहे हैं। इस विधेयक के अधिकाँश उपबन्ध मीजोरम के नये संघ राज्य क्षेत्र तक ही सीमित हैं। तथापि खण्ड 5-7 सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होते हैं और इनके द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं को राज्य विधान सभाओं की तरह कार्य करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

विधेयक के खंड 2 के द्वारा मीजोरम को संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल करने का प्रयास है। मीजोरम के 98 प्रतिशत लोग अनुसूचित जन जातियों से संबंधित हैं और उस क्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है अतः प्रस्ताव किया गया है कि मीजोरम के 30 सदस्यीय विधान मंडल में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

खंड 3 में परिणामी संशोधन किये गये हैं, जिनसे संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल, व्यापार वाणिज्य तथा भारत की सीमा के अन्तर्गत सम्पर्क सम्बन्धी मामलों में उसी प्रकार से कानून बना

सकेंगे, जिस प्रकार के राज्यों के विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 304 के अन्तर्गत बना सकते हैं।

खंड 7 संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुरूप ही है। ऐसे मामलों से संबन्धित विधेयकों को जिन्हें राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किये जाने पर राष्ट्रपति के विचार के लिए पेश किया जाता है, उन्हें अब संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों द्वारा पारित किये जाने पर विचार के लिए इसी प्रकार पेश किया जायेगा।

पावी लम्वेर क्षेत्र के अल्पसंख्यक आदि वासी वर्गों के लिए भी इसमें एक विशेष संरक्षण रखा गया है।

खंड 9 और 10 में विधान सभा निवचिन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए सामान्य उपबन्ध किये गये हैं। खण्ड 11 में भी कार्यकारी क्षेत्र में पावी-लम्वेर क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्योंकि मीजोरम के साथ दूसरे देशों की सीमायें लगती हैं इसलिए यह निर्णय किया गया है कि प्रशासक को सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

यदि एक बार मिजोरम की विधान सभा बना दी जाती है तो समूचे क्षेत्र के लिए जिला परिषद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मिजोरम के प्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया है कि उस परिषद् को अवश्य भंग किया जाना चाहिए और संविधान की छटी अनुसूची को पावी-लम्वेर क्षेत्र पर लागू किया जाना चाहिए। इस विधेयक के खण्ड 12 के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति का भी प्रयास किया गया है। इस विधेयक के खंड 13 के द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में कुछ संशोधन किये गये हैं ताकि पावी-लम्वेर क्षेत्र पर इस अनुसूची को लागू करने के विचार को पूरा किया जा सके।

हमारा यह भी विचार है कि मिजोरम की विधान सभा के चुनाव यथाशीघ्र कराये जाएं। वहाँ के प्रतिनिधियों की आशंका है कि चुनाव कराने में विलम्ब हो सकता है। अतः हमने खंड 15 में अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले, तथा संविधान की षष्ठ अनुसूची का और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का भी और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। यदि मीजोरम का संघ राज्य क्षेत्र और विधान सभा तथा मंत्रि परिषद मिजो लोगों का रक्त बहाये बिना अस्तित्व में आ जाये तो यह प्रसन्नता की बात होगी। भारत सरकार के प्रति हमारी यह शिकायत है कि वह आदिवासियों की भावनाओं पर ध्यान देने में एकदम असफल रही है जो काफी समय से सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में पीड़ित रहे हैं। यदि विधेयक को इससे पहले पेश किया जाता तो मिजो जनता के दिमागों में रक्तपात और आन्दोलन की भावना रोकी जा सकती थी।

मिजो क्षेत्र में जो चकमा और पावी-लम्वेर के क्षेत्र है वे बहुत कमजोर हैं। सरकार ने प्रादेशिक परिषदों को बनाये जाने का सुझाव दिया है। वे जिला परिषद की तरह की परिषदें

बनाना चाहते हैं । जब विधान सभा और मंत्रि परिषद अस्तित्व में आ जायेंगे तो केन्द्रीय सरकार और प्रशासक को अविलम्ब सभी विभाग दे देने चाहिए और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से ही करने देना चाहिए ।

गुरुवार, 23 दिसम्बर, 1971 को सभा की बैठक के बारे में घोषणा

Announcement Re. Sitting of the House on Thursday, December 23, 1971

अध्यक्ष महोदय : पहले सभा 22 दिसम्बर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होनी थी । परन्तु मंत्री महोदय चाहते हैं कि हम 23 तारीख को भी बैठें ।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ । मिजोरम बहुत ही सामरिक महत्व का क्षेत्र है और इसका विकास करने की अत्यन्त आवश्यकता है । इस विधेयक को बहुत पहले ही पेश किया जाना चाहिए था । इस अवसर पर मैं मिजोरम की जनता को बधाई देना चाहूँगा । वे काफी समय से यह दर्जा पाने की मांग कर रहे थे । इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद मिजो जनता को यह संतोष प्राप्त होगा कि उन्हें एक नया जीवन मिल गया है । लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । संचार, उद्योग और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में मीजोरम के विकास कार्य पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके बिना पूर्व में मिजो और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को जिन्हें नया दर्जा दिया गया है इस विधान से कोई लाभ-प्राप्त नहीं होगा ।

स्वतन्त्रता से पूर्व भी विदेशियों ने इस क्षेत्र की जनता को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से दूर रखने की भूमिका निभाई है । हमें इन उपायों द्वारा इन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में बदलना चाहिए । हमें इस प्रकार के उपाय सोचने चाहिए जिनसे उनके दृष्टिकोण और भावनाओं में परिवर्तन आ जाये । यह बात न केवल विरोधी मिजो लोगों पर लागू होती है, अपितु नागालैंड मणीपुर और पड़ोस के अन्य क्षेत्रों के लोगों पर भी लागू होती है ।

अब एक नई स्थिति पैदा हो गई है जिससे जनता बड़ी प्रसन्न है । हमें इस स्थिति से लाभ उठाना चाहिए और गृह मत्रालय को जनता की संस्कृति और अन्य गतिविधियों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के साथ इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए ।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : जिस विधेयक द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति में वृद्धि की जाये, उसका स्वागत होना चाहिए । संघ राज्य क्षेत्र का विधान मंडल अब बड़े व्यापक ढंग से स्वयं कार्य कर सकेगा । समस्या विधान बनाने की नहीं है, अपितु वित्तीय प्रशासन की है जो संघ राज्य क्षेत्रों के विकास में काफी बाधा डालता है । प्रशासनिक सुधार आयोग के एक अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि "यह स्वीकार करते हुए भी कि संघ राज्य क्षेत्रों के बजटों में केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष रुचि है क्योंकि वह अधिकतर राजस्व अनुदान और ऋण के द्वारा देती है, किन्तु एक ऐसा तरीका ढूँढ़ा जाये जिससे केन्द्रीय संवीक्षा न्यूनतम हो सके ।" अध्ययन दल की यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए । संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में एक और कठिनाई यह है कि इसमें प्रशासनिक गड़बड़ी बहुत है और दिल्ली से बहुत सी बातों की अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे पर्याप्त विलम्ब होता है और इसके कारण विकास कार्य में बाधा पड़ती है । यदि विशेष वित्त आयोग नियुक्त किया जाये तो वह संघ राज्य क्षेत्रों के हितों की ओर ध्यान देगा ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri. K. N. Tiwary *in the Chair*]

मंत्री महोदय ने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिये जाने के विधेयक पेश किये हैं किन्तु गोआ, दमन और दीव के बारे में हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। वह इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रति इतनी निर्दयी क्यों है ? इसके अतिरिक्त पांडिचेरी, मणिपुर त्रिपुरा मीजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए राज्य सभा में स्थान दिये गये हैं, किन्तु गोआ के लिए अभी तक कोई स्थान नहीं है। ऐसा भेदभाव क्यों है ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I support the Bill. This Bill was fulfilled the long felt needs of the people. The Government has so far been meeting the demands of the people after some agitations and demonstrations. This Bill seeks to give rights to the people of Mizoram, Arunachal or Purvanchal, under which they can form the Government of their own choice. But due care should be taken to exercise these powers.

Special attention should be paid for establishing industries there. Land reforms should also be introduced. Transport and education facilities should be given priority. The Government should also take necessary steps for removing poverty, unemployment and illiteracy. The objectives of the Bill will be fulfilled only if we bring about these reforms.

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं माननीय सदस्यों का अत्यंत अभारी हूँ। माननीय सदस्यों के साथ मैं भी मीजोरम की जनता को बधाई देता हूँ तथा अपनी शुभ कामनायें व्यक्त करता हूँ।

मीजोरम के नेताओं ने इस योजना को बड़े ही सहयोग के साथ स्वीकार किया है। उन्होंने वर्तमान विधेयक में और लोक सभा द्वारा स्वीकृत अन्य विधानों में यह देखा है कि उनके कल्याण के प्रति संसद और केन्द्रीय सरकार की रुचि है और यह सुनिश्चित करने में हमारी रुचि है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने कामों को पूरा करें। श्री दशरथ देव ने मिजो लोगों द्वारा सम्बन्ध विच्छेद के लिए किये गये आन्दोलन का उल्लेख किया है और कहा है कि उनका यह उद्देश्य गलत था और इसे दबाया ही जाना चाहिए था। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। वह उठी हुई सम्बन्ध विच्छेद करने की किसी भी मांग को सख्ती से दबाया जायेगा। स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध उनका पाकिस्तानियों को सहायता देने का कार्य ऐसा ही है जिसको कोई भी सहन नहीं कर सकता। फिर भी हमने यह स्वीकार किया है कि परिवर्तित स्थिति में मिज़ोरम में कोई ऐसा विद्रोही है, जो वापस आना चाहता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है। हम उन्हें स्वीकार करेंगे किन्तु हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिये।

श्री दशरथ देव ने पवियों लम्खेरों और चकमाओं के मामले का भी उल्लेख किया है। यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है और मुझे इस पर ठीक तरह से विचार करने का समय नहीं मिला है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर हम मिजोरम के प्रशासक से कहेंगे कि वह इस बात का अध्ययन करे कि क्या चकमाओं के हितों के अनुरक्षण के लिए एक अलग जिला परिषद बनाने की कोई आवश्वकता है ? अतः हम इस समस्या से अवगत हैं और इस पर विचार अवश्य करेंगे।

श्री टोम्बी सिंह जी की बात से मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है और अन्य पहाड़ी राज्य बनाने में भी मुझे बहुत सन्तोष मिलेगा क्योंकि मैं स्वयं पर्वतीय क्षेत्र का निवासी हूँ। इन क्षेत्रों की अनेक

समस्याएं उन दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों के समान ही हैं। फिर भी इस क्षेत्र का भविष्य अत्यन्त उज्जवल होगा।

मैं अपने उन माननीय मित्रों से पूर्णतया सहमत हूँ जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इसके लिए केवल प्रशासनिक व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं होगी और इन क्षेत्रों के लिये विशेष ध्यान देना होगा। वहां सड़कों, और संचार व्यवस्था का विकास विशेष रूप से किया जायेगा। इसके साथ ही वहां उद्योगों का विकास भी किया जाना है। अतः मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि हम इन समस्याओं की ओर पूरा ध्यान देगें।

श्री सैकेरा ने इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्र संघ राज्य क्षेत्रों में बहुत रुची रखता है। केन्द्र इन क्षेत्रों के विकास के लिए संघ राज्य क्षेत्रों की सीधे बहुत अधिक मात्रा में अनुदान और ऋण देता है। केन्द्र संघ राज्यों क्षेत्रों के विकास के लिए और अधिक व्यवस्था कर सकता है जबकि राज्यों के मामले में संसाधनों का वितरण करने के लिए कुछ विधियों का भी पालन करना पड़ता है और यही कारण है कि एक राज्य की तुलना में अन्य राज्यों को प्राथमिकता देना कठिन है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र श्री सेकैरा ने जो कई बातों में केन्द्र से अनुमति लेने का उल्लेख किया है कि योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिये कि धन का उचित उपयोग किया गया है केन्द्र को विशेष ध्यान देना चाहिए। परन्तु यह सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है। लौह-अयस्क से होने वाली आय, जो केन्द्र को जाती है, के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया है। परन्तु यह स्थिति अनेक क्षेत्रों में एक समान ही है। कुछ क्षेत्रों से कतिपय उत्पादनों का निर्यात होता है परन्तु उससे होने वाली आय दूसरे क्षेत्रों में नहीं जा सकती है। इससे आयात निर्यात सम्बन्धी केन्द्रीय नीति का कोई अर्थ ही नहीं होगा।

अतः मिजोरम की जनता को हमारी शुभ कामनाएं हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले, तथा संविधान की षष्ठ अनुसूची का और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का भी और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> 'कि खण्ड 2-15, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2-15, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2-15, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मै प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाये ।'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाए ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

Companies (Amendment) Bill

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

यह एक अत्यन्त अविवादास्पद विधेयक है । इसमें कम्पनियों को राष्ट्रीय रक्षा कोष अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत रक्षा सम्बन्धी किसी अन्य कोष में अंशदान करने योग्य बनाया गया है । कम्पनी अधिनियम में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे । मैं सभा को इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि गत आपात स्थिति में भी इसी प्रकार के उपबन्ध किए गए थे । अतः इस वर्तमान विधेयक और गत विधेयक में यह अन्तर है कि वर्तमान विधेयक संविद-पुस्तक में इसकी स्थाई रूप से व्यवस्था करता है और उपबन्धों के क्षेत्र में इस सीमा तक विस्तार करता है कि निदेशकों के न होने की स्थिति में यह निदेशकों की शक्ति का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कम्पनी अधिनियम के किसी भी उपबन्धों अथवा किसी गैर-सरकारी कम्पनी या किसी अन्य तरह की संस्था, जो कम्पनी अधिनियम के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, के बारे में संस्था के नियमों में उल्लिखित अनुच्छेदों के बावजूद राष्ट्रीय रक्षा कोष में उदारता से दान दे सकें ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : ऊपर से तो यह विधेयक अविवादास्पद लगता है परन्तु इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है ।

उद्देश्य एवं कारण विवरणी में बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार का संशोधन करने का है जिससे कम्पनियाँ भी राष्ट्रीय रक्षा कोष तथा इसी प्रकार के अन्य कोषों में योगदान कर सकें । अतः यहां "इसी प्रकार के अन्य कोषों" का क्या तात्पर्य है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुख्य खण्ड का उद्देश्य धारा 293 का संशोधन करना है क्योंकि धारा 293 बी में यह व्यवस्था है ".....राष्ट्रीय रक्षा कोष अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य कोष"। इसे "राष्ट्रीय रक्षा कोष" न कह कर "कोई अन्य कोष" कह सकते हैं।

डा० रानेन सेन (बारसाठ) : दूसरी बात यह है कि क्या इससे श्रमिकों की बोनस सम्बन्धी माँगों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? क्योंकि हम पहले देख चुकें हैं कि अनेक कम्पनियां अपने श्रमिकों को बोनस से वंचित रखने के लिए राजनीतिक दलों के कोषों में दान देने का बहाना करती रही हैं। जब बाद में राजनीतिक दलों को दान देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तो वे अब भी अनेक प्रकार के कोषों में कई प्रकार का दान देकर बोनस देने के मामले को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि इससे श्रमिकों के बोनस के हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यही मामला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जब तक यह बात स्पष्ट नहीं की जाएगी, तब तक मैं समझता हूं कि सारी कम्पनियाँ जो श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है, और हमारे देश के एकाधिकारवादी तत्त्व जो श्रमिकों को धोखा देकर इस विधेयक विशेष से लाभ उठाकर तबाही मचाते रहेंगे। इससे श्रमिकों में बहुत असंतोष हो जाएगा। वैसे युद्धकाल के दौरान श्रमिकों को कोई आपत्ति नहीं होगी अपितु, वे अपनी मजदूरी का एक भाग देने के लिए तैयार हैं। परन्तु यदि शान्ति के समय में भी इस उपबन्ध को बनाए रखा गया तो श्रमिकों में बहुत व्यापक असन्तोष हो जाएगा और इस विधेयक का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। अतः मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : I have nothing more to add about this Bill. But the point raised by Dr. Ranen Sen is very relevant and I am also doubtful regarding this point because we also feel that the provision shall adversly affect the demands of the workers for their due share of bonus. This provision seeks to deduct five percent of the net profits of the Companies towards National Defence Fund. But I fear it will affect the payment of bonus to the workers also. It will, therefore, be better if the contribution towards National Defence Fund is made after payment of bonus to the workers; otherwise after the provision having been implemented the employers may take the plea that since they have to contribute towards National Defence Fund only 8 or 5 percent bonus can be paid to their workers. They have been doing such things in the past also. I want the hon. Minister to clarify this point.

Secondly, this provision should not be made permanent. This provision should be kept in force only during the period of operation of the proclamation of emergency. This point should also be cleared.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : अनेक कम्पनियां अपनी निधियों का अनेक प्रकार से दुरुपयोग करती रही हैं। वे किसी न किसी कोष में बहुत अधिक धन दान देती रही हैं। परन्तु जब इस पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया तो इन में कुछ कमी आई।

1962 में चीन के आक्रमण के दौरान भी इसी प्रकार का उपबन्ध किया गया था। उस समय सरकार ने धारा 293 के वर्तमान उपबन्ध में उल्लिखित सीमाओं के बिना राष्ट्रीय

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर।

*English translation of the speech delivered in Tamil.

रक्षा कोष अथवा देश के लिए अन्य किसी भी प्रकार के कोष में दान देने के लिए कम्पनियों के निदेशक मण्डल को शक्ति प्रदान करने के लिए कम्पनी अधिनियम का संशोधन किया गया था।

यह उपबन्ध तब तक लागू रहा जब तक कि आपात स्थिति बनी रही और आपात स्थिति समाप्त होते ही यह उपबन्ध भी समाप्त हो गया था। अब, इस वर्तमान आपात स्थिति में कम्पनी की सामान्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कराने की औपचारिकता में पड़े बिना राष्ट्रीय रक्षा कोष में अथवा राष्ट्रीय रक्षा के हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य कोष में 25,000 रुपये से अधिक या 5 लाख रुपये तक दान देने हेतु निदेशक मंडल अथवा इसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति को शक्ति प्रदान करने के लिए सरकार ने अब वैसा ही संशोधन प्रस्तुत किया है। हम इस संशोधन विधेयक का इसलिए स्वागत करते है क्योंकि इसमें किये गए प्रबन्ध का सम्बन्ध देश की रक्षा से है। इस विधेयक का हम इसलिए भी स्वागत करते हैं कि इस उपबन्ध को स्थाई बनाया जा रहा है।

परन्तु यहां एक और बात उल्लेख करने योग्य है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्सेदारों को उनके न्याय-संगत अधिकारों से वंचित कर रही हैं। क्योंकि बड़े अधिकारियों के भत्तों आदि पर तो बहुत धन व्यय किया जाता है जिसके फलस्वरूप लाभ 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष भी नहीं घोषित किया जाता। इस कम्पनी अधिनियम में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ हैं जिनसे प्रबन्धक इस प्रकार के दुरुपयोग बहुत सुगमता से कर सकता है और फलस्वरूप उसके निर्धन हिस्सेदारों को उनका उचित एवं न्यायसगंत हिस्सा नहीं मिल पाता। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे प्रबन्धकों द्वारा कम्पनियों की निधि में बरती जाने वाली अनियमितता पर शीघ्रातिशीघ्र रोक लगाने के हेतु कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक सभा में प्रस्तुत करें क्योंकि हिस्सेदारों के शेयरों का भी वहाँ कोई संरक्षण भी नहीं है।

Shri R. V. Bade (Khargone) : Sir, while supporting this Bill I am afraid that the provision is very likely to have adverse effect on the due shares of bonus of the workers. The Bill seaks to amend the provisions to enable the Companies to contribute at least 5 per cent of their net profits towards the National Defence Fund. It is said that this will effect the bonus being paid to the workers of the Company but I think this will not affect in this manner. If this is so, I would like the hon. Minister to clarify this point.

In 1962 this provision was brought forward for empowering the Board of Directors of Companies to make contribution to the National Defence Fund. But at that time it was stated that this provision will be removed immediately along with the abolition of emergency. But in the statement of objects and reasons of this Bill it says that opportunity is being taken to make this provision a permanent one. This provision should not be made permanent. In the end I support the provision of making contribution of Rs. 25,000 or more or 5 per cent of the net profits, but this should not deprive the share-holders of their interests.

श्री रघुनाथ रेड्डी : राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए दिए गए दान अन्य प्रकार के उन दानों से नितान्त भिन्न है जो कम्पनी अधिनियम में बताए गए हैं। कम्पनी द्वारा दिया जाने वाला यह दान तो राष्ट्रीय हित में है। केवल अन्य प्रकार के दान अथवा चन्दों के बारे में ही विधि द्वारा प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

डा० रानेन सेन तथा अन्य माननीय मित्रों ने जो यह प्रश्न उठाया है कि इस उपबन्ध को स्थाई रूप देने की व्यवस्था करने का इसका बोनस और अन्य सम्बद्ध समस्याओं पर कुप्रभाव पड़ेगा ? इस बारे में मेरा यही उत्तर है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार केवल राष्ट्रीय रक्षा कोष की व्यवस्था करने का ही प्रयास करेगी। अन्यथा यदि राष्ट्रीय आपात स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और यदि सरकार को राष्ट्र की रक्षा के लिए कोष की आवश्यकता नही पड़ी तो इस प्रकार का कोई कोष अथवा निधि नहीं बनायी जाएगी। इसलिए सरकार को यदि ऐसी निधि की आवश्यकता पड़ी तो स्वेच्छा से राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए आवश्यकतानुसार धन प्राप्त कर सकती है। दूसरे किसी कम्पनी को धन देने के लिए हम बाध्य नही कर रहे हैं। यह तो केवल "सनर्थक" उपबन्ध है। यदि कम्पनी के प्रबन्धक राष्ट्रीय रक्षा कोष में धन देना श्रेयस्कर समझते हैं तो कम्पनी को ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिए। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार यह सुनिश्चितकरने के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतेगी जिससे श्रमिकों को मिलने वाले लाभ से उन्हें वंचित करने के लिए इस उपबन्ध का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।

इससे पहला विधान आपात कालीन अवधि के लिए ही पारित किया गया था। किन्तु अब हमने विचार किया है कि क्योंकि धर्मार्थनिधि आदि के लिए उपबन्ध इसमें है तो हम इसी प्रकार की निधि के लिए भी स्थायी उपबन्ध बना सकते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि जब आपात कालीन स्थिति नही है तो सरकार यह निर्णय करने में पर्याप्त सावधानी बरतेगी कि ऐसे कोष अथवा निधि को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। यदि प्राप्तकर्त्ता इसे स्वीकार नही करेगा तो कम्पनी सरकार को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। हम इस उपबन्ध को इसलिए स्थाई बनाना चाहते हैं कि यदि जब कभी आपातकालीन स्थिति पैदा हुई तो हमें इस प्रकार का विधान प्रस्तुत करने के लिए संसद को कष्ट देने की कोई आवश्यकता न पड़े। जब हम धर्मार्थ निधियों आदि में दान दे सकते हैं तो हम राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति में होगें।

जहां तक कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार हिस्सेदारों को संरक्षण देने और देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए कम्पनी अधिनियम में कई आवश्यक संशोधन करने का विचार कर रही है। जब वह विधेयक तैयार हो जाएगा तो सदस्यों को इस संबंध में निश्चित रूप से बता दिया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड—2

श्री मोहम्मद इस्माइल : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 के मतदान को लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया :

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the tital were added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपदान संदाय विधेयक

Payment of Gratuity Bill

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कारखानों, खानों बागानों, दुकानों अथवा अन्य स्थानों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस समय श्रम जीवी पत्रकार सेवा की शर्तें, तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा केन्द्रीय अधिनियम नहीं है जिसके द्वारा औद्योगिक श्रमिकों का उपदान संदाय विनियमित किया जा सके । गत वर्ष केरल सरकार द्वारा इस आशय का अधिनियम बनाया गया था और 3 जून 1971 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी इसी प्रकार का एक अध्यादेश जारी किया था । इन राज्यों द्वारा कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अधिनियम बन जाने के फलस्वरूप इस विषय पर केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता समझी गई है । यदि प्रत्येक राज्य उपदान सम्बन्धी अपने ही अलग विधान बनालें तो विभिन्न स्थापनाओं में कर्मचारियों को एक जैसी सेवा की शर्तें प्रदान करना कठिन हो जायेगा क्योंकि इन स्थापनाओं की शाखायें एक से अधिक राज्यों में बनी हुई हैं । इससे इन कर्मचारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर भी प्रभाव पड़ेगा ।

आदान सम्बन्धी एक केन्द्रीय कानून बनाने के प्रस्ताव पर 24 तथा 25 अगस्त, 1971 को नई दिल्ली में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी । अधिकांश राज्य सरकारों के

प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति दी थी कि उपदान के सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून शीघ्र बनाया जाना चाहिए। 22 और 23 अक्तूबर 1971 को हुई भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक में भी इस विषय पर विचार किया गया था। इस सम्मेलन में यही सिफारिश की गई थी कि उपदान संदाय के सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून शीघ्र ही बनाया जाना चाहिए। श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने भी भारतीय श्रम सम्मेलन में सुझाव दिया था कि प्रस्तावित कानून समस्त प्रतिष्ठानों में लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए और ना ही न्यूनतम योग्यता सेवा की आवश्यकता हो। सेवा के दौरान मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में उपदान की दर अधिक होनी चाहिए। सेवा से पदच्युति को उपदान संदाय के लिए अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए। हड़ताल के कारण सेवा में व्यवधान भी नहीं माना जाना चाहिए।

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन और भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार उपदान के सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून बनाने का निर्णय किया गया है। अगस्त, 1971 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि वहां कन्द्रीय विधान के समान ही उपबन्ध लागू हों। यह केन्द्रीय विधान कुछ एक संशोधनों के साथ पश्चिम बंगाल अधिनियम के आधार पर बनाया गया है।

प्रस्तुत क्षेत्र का विस्तार क्षेत्र भी इतना ही है जितना पश्चिम बंगाल अधिनियम का है। फिर भी केरल और पश्चिम बंगाल अधिनियम सभी खानों पर लागू नहीं होते क्योंकि राज्य सरकारें खानों के बारे में कानून नहीं बना सकतीं है। कोयला खानों में श्रमिकों को उपदान का लाभ देने के लिये मांग निरन्तर की जाती रही है और प्रस्तुत विधेयक में सभी खाने आ जाती हैं जिनकी परिभाषा खान अधिनियम, 1952 में दी गई है। यह अधिनियम उन संस्थानों पर भी लागू करने की व्यवस्था की गई हैं जिनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इस विधेयक के प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल अधिनियम की परिभाषा अपनाई गई है अर्थात ऐसे कर्मचारी, जिनके वेतन 750 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं हैं, परन्तु वह कुशल, कुशल अर्ध-कुशल अथवा शारीरिक काम करने वाले अकुशल, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय (क्लेरिकल) कार्य करते हों, वही इस विधेयक के अन्तर्गत आते हैं।

केरल और पश्चिम बंगाल अधिनियमों के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन की मजूरी के हिसाब से उपदान दिया जाता है परन्तु यह अधिकतम राशि 15 महीनों की मजूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश की सभी उपदान योजनाओं के सम्बन्ध में इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है। इसलिए इस विधेयक में भी यही व्यवस्था की गई है कि उपदान की राशि 15 महीनों की मजूरी से अधिक नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल अधिनियम के अनुसार उपदान प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष की अनवरत सेवा होना भी आवश्यक है। इस विधेयक में भी इसी सिद्धान्त को अपनाया गया है। परन्तु मृत्यु दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण अपंगता की स्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी।

उपदान की राशि निर्धारित करने के लिए केरल अधिनियम में "मजूरी" की परिभाषा में मूल वेतन में महंगाई भत्ता तथा बहुत सी अन्य सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। परन्तु पश्चिमी बंगाल अधिनियम में "मजूरी" की परिभाषा में मूल वेतन में केवल महंगाई भत्ता ही

शामिल किया गया है। कुछ अन्य उपदान योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए मजूरी का अर्थ केवल मूल वेतन से लिया गया है। कई संस्थाओं में महंगाई भत्ता मूल वेतन से अधिक है। इसीलिए कर्मचारी मजूरी की परिभाषा में मूल वेतन में मंहगाई भत्ता शामिल करने की माँग करते हैं। अगस्त 1971 में श्रम मंत्री सम्मेलन में भी इसी परिभाषा को स्वीकार किया गया था। भारतीय श्रम सम्मेलन ने भी इस विचार से सहमति व्यक्त की थी।

बर्खास्तगी के सम्बन्ध में मूल बात यह है कि यदि कोई कर्मचारी दुर्व्यवहार करता है, चाहे सेवा की कुछ भी स्थिति हो, तो उसको दिये जाने वाले उपदान में कुछ कमी कर देनी चाहिए अथवा बिलकुल नहीं देना चाहिए। परन्तु दुर्व्यवहार कई प्रकार का होता है अतः मैं समझता हूँ कि किसी गम्भीर घटना के कारण ही उपदान जब्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया है। इसके अनुसार कर्मचारी द्वारा की गई हिंसा को किसी गम्भीर कार्यवाही के कारण वह उपदान का हकदार नहीं होगा। यह बात उचित प्रतीत होती है परन्तु यदि दुर्व्यवहार के कारण नियोजक की सम्पत्ति को हुई क्षति अथवा हानि अथवा बरबादी की राशि के समान उसकी उपदान की राशि में से कटौती की जाए तो अधिक अच्छा होगा। श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने यह भी शिकायत की है कि नैतिक चरित्रहीनता सम्बन्धी अपराधों का उल्लेख करने से इसके अन्तर्गत ऐसे अपराधों को भी लिया जा सकेगा जिसका संस्थान : : चारी की सेवा से बिल्कुल कोई सम्बन्ध न हो। इस संदेह को दूर करने के लिए एक संशोधन किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि यह उपबन्ध केवल संस्थान के अहाते में अथवा उसके आसपास अथवा प्रतिष्ठान की सेवा करते समय किसी कर्मचारी द्वारा किए गए अपराधी पर लागू होगा।

प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत खानों तथा खानों से सम्बन्धित संस्थानों अथवा केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन संस्थानों, जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हों, के सम्बन्ध में इस कानून को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ही उचित सरकार होगी। अन्य संस्थानों के सम्बन्ध में इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार उचित सरकार होगी।

मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना चाहता हूं। अतः पहले प्रस्ताव की बजाय मै दूसरा प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 20 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री आर०डी० भण्डारे

(2) श्री दीनेन भट्टाचार्य

(3) श्री मूलचन्द डागा

(4) श्री सी० टी० दण्डपाणि

(5) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
(6) श्री एस० बी० गिरी
(7) श्री राजा कुलकर्णी
(8) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(9) डा० जी० एस० मेलकोटे
(10) श्री जगन्नाथ मिश्र
(11) श्री एन० श्री कान्तन् नायर
(12) श्री दामोदर पाण्डेय
(13) श्री एस० राधाकृष्णन
(14) श्री रानेन सेन
(15) श्री आर० एन० शर्मा
(16) श्री राम रतन शर्मा
(17) श्री सी० एन० स्टीफन
(18) श्री जी० वेंकटस्वामी
(19) श्री बालगोविन्द वर्मा; और
(20) श्री आर० के० खाडिलकर

और समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 20 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० डी० भण्डारे
(2) श्री दीनेन भट्टाचार्य
(3) श्री मूल चन्द डागा
(4) श्री सी० टी० दण्डपाणि
(5) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
(6) श्री एम० बी० गिरी
(7) श्री राजा कुलकर्णी
(8) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(9) डा० जी एस० मेलकोटे
(10) श्री जगन्नाथ मिश्र
(11) श्री एन० श्रीकान्तन् नायर
(12) श्री दामोदर पाण्डेय
(13) श्री एस० राधाकृष्णन

(14) श्री रानेन सेन

(15) श्री आर० एन० शर्मा

(16) श्री राम रतन शर्मा

(17) श्री सी० एन० स्टीफन

(18) श्री जी० वेंकटस्वामी

(19) श्री बाल गोविन्द वर्मा; और

(20) श्री आर० के० खाडिलकर

और समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 22 दिसम्बर,1971/1पौष 1893 (शक) के दस बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned Till Ten of the clock on Wednesday, the 22nd December, 1971/1st Pause, 1893 (Saka).

Sumer Printing Press, New Delhi-18